

अदालत

S 30

मुकाम

0145

22/10/19 कोर्ट

बनाम

22/10/19 कोर्ट

किसम मुकदमा 88,188 हाउस

नं

28

सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-07-19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री नरेश कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 राजस्थान कानूनकारी/घु-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22-07-19 को पेश हो।</p>	
22/10/19	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी/जवाबों के सम्मन तामिल फॉर्म तामिल फॉर्म/सम्मन प्रीवियुस फॉर्म/वादी के द्वारा दिनांक 22/10/19 में पेश होने के मशाल इलतवा द्वारा प्रार्थी दिनांक 22/10/19 को पेश हो।</p>	
22/10/19	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी/जवाबों के सम्मन तामिल फॉर्म तामिल फॉर्म/सम्मन इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 04/11/2019 को पेश हो।</p>	
04/11/19	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी/जवाबों के सम्मन तामिल फॉर्म तामिल फॉर्म/सम्मन प्रीवियुस फॉर्म/वादी के द्वारा दिनांक 04/11/2019 में पेश होने के मशाल इलतवा द्वारा प्रार्थी दिनांक 17/12/19 को पेश हो।</p>	



17/12/19

वारी वडील उपस्थित। परिवारी संख्या-187
 और से वडील श्री रवेतराम जाधव द्वारा वडावाला-
 नामा मय ईश्वरालिया जवळडावा पेश किया गया जिसे
 शामिल पंजाबली किया गया। और परिवारीगणों से कोई
 किसी प्रकार की इतरुद्धा नहीं चाही गई इसलिए वारी
 वडील द्वारा और परिवारीगणों से एक किया गया।
 वारी वडील द्वारा वारी साक्ष्य के रूप में वारी संख्या-1
 पुत्र-1- चुन्नाम पुत्र श्री आसुराम जाति-जाट निवासी-
 भगौणियों की ठानी (माडपुरा करवाला) तहसील-वायसु
 जिला-वाडमेर स्वतंत्र उवाट पुत्र-2- अंबरलाल चौधरी
 पुत्र श्री मंगाराम चौधरी जाति-जाट निवासी-माडपुरा
 करवाला तहसील-वायसु जिला-वाडमेर व पुत्र-3- श्री
 शंकरराम पुत्र श्री जंगाराम जाति-जाट निवासी-भगौणियों
 की ठानी माडपुरा करवाला तहसील-वायसु जिला-वाडमेर
 तथा परिवारी साक्ष्य के रूप में परिवारी संख्या-1
 स्वयं पुत्र-1- आसुराम पुत्र श्री चुन्नाम जाति-
 जाट निवासी भगौणियों की ठानी (माडपुरा करवाला)
 तहसील-वायसु जिला-वाडमेर के साथ-एक पेश
 किया गया जिसे शामिल पंजाबली किया गया। वारी-
 गण का काट संबंधित में इस प्रकार है कि वारीगण
 एवं परिवारी संख्या-1 एक ही परिवार के सदस्य
 हैं तथा आपस में पुत्र-पिता हैं वारीगण व परि-
 वारी संख्या-1 एक ही परिवार के सदस्य होने व
 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार होने के कारण
 वारीगण एवं परिवारी संख्या-1 के पूर्व स्वंधना-
 वाम की श्यादेदारी के खेत मोजा-भगौणियों की
 ठानी पट्टा मण्डल- माडपुरा करवाला तहसील-
 वायसु जिला-वाडमेर के खसरा नम्बर 735/612
 रकबा- 26.18 बीघा, मोजा- माडपुरा पुराना गाँव
 पट्टा मण्डल- माडपुरा करवाला के खसरा नम्बर-
 306 रकबा- 0.19 बीघा, खसरा नम्बर-307 रकबा-

हुकम व
 0.04 बीघा, ख
 विया व खसरा
 1.03 बीघा

3.10 का 25
 श्री
 12/12/19
 सुपाराम
 श्री

विभागाध्यक्ष
 सहायक निदेशक (SDO) 015
 वायसु

0.04 बीघा, ग्रामर नम्बर-308 रकबा-01.06
 बीघा व ग्रामर नम्बर- 425/308 रकबा-
 1.03 बीघा कुल रकबा- 110.10 बीघा के आगे
 हुए हैं। उपरोक्त बंठित वादग्रस्त आराजी
 वादीगण की पैठड सम्पत्ति को होने के कारण
 वादग्रस्त आराजी में परिवारी संख्या-1 की
 ग्रामरानी माणिक सजरा अनुमा 1/2 हिस्सा
 की पैठड भूमि शाली है। इस प्रकार से प्रति-
 वारी संख्या-1 के हिस्से की जमीन में से
 वारी संख्या-1 का 1/4 हिस्सा, वारी संख्या-2
 का 1/4 हिस्सा, वारी संख्या-3 का 1/4 हिस्सा
 तथा परिवारी संख्या-1 का 1/4 हिस्सा खालेदारी
 में बनना है क्योंकि वादग्रस्त आराजी फल
 सेलमेन्ट वादीगण के दादाजी धनाराम के नाम
 से राजस्व रैडर्ट में दर्ज भूमि वादीगण की पैठड
 भूमि होने एवं वादीगण का परिवार हिन्दू विधि से
 स्थापित होने से पुत्र को अपने पिता की पैठड
 भूमि में जन्म से अधिकार है। इसलिये वादग्रस्त
 भूमि में वादीगण का हिस्सा परिवारी संख्या-1 के
 साथ वादीगण के जन्म से ही अधिकार पेट को है।
 क्योंकि वादीगण व परिवारी संख्या-1 आपस में
 पिता-पुत्र हैं। इस कारण वादीगण अपना हिस्सा
 परिवारी संख्या-1 के साथ घोषित इताने के अधि-
 कारी हैं। जिस हेतु उक्त वाद हिस्से की घोषणा
 बाबत पेश किया गया।

वारी का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया
 जाऊं परिवारीगणों को जारी सम्मान लख किया
 गया। परिवारी संख्या-1 की ओर से वकील की
 खेतालय जाकर द्वारा वकालतनामा मय ईश्वराम
 जवाहरदास पेश कर वादीगण द्वारा प्रदत्त वाद

सहायक जज (300)
 नायब

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के सम्बन्ध में सहमती जाहिर की गई तथा पत्नी-
 गण व परिवारागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वाप्यपत्रों
 में श्री पत्नीगण प्रप्रेड डा परिवारी संख्या-1 के साथ
 करावर-करावर डा हिस्सा होना बताया गया।
 हमने पत्नीगण व परिवारी संख्या-
 1 के अधिवक्ता की कठम दुनी गई पत्रावली व
 पत्रावली के संलग्न राजस्व रैड्ड डा प्रब्लोडन किया
 गया था। प्रब्लोडन उक्त विवादित आराजी में पत्नी-
 गण प्रप्रेड डा परिवारी संख्या-1 के साथ करावर-
 करावर डा हिस्सा होना साबित होला है।

अतः पत्नीगण डा पत्नी स्वीकार
 किया जाइए विवादित आराजी मोजा- अगोरिया
 की गली पटवार मण्डल- माडपुरा करवाला लक्ष्मील-
 बाबु जिला- काठमांडू में घमरा नम्बर- 735/612
 रकबा- 26.18 बीघा, मोजा- माडपुरा पुराना गाँव पटवार
 मण्डल- माडपुरा करवाला में घमरा नम्बर- 306 रकबा-
 0.19 बीघा, घमरा नम्बर- 307 रकबा- 0.04 बीघा, घमरा
 नम्बर- 308 रकबा- 81.06 बीघा व घमरा नम्बर-
 425/308 रकबा- 1.03 बीघा कुल रकबा- 110.10 बीघा
 मूमि में परिवारी संख्या-1 के 1/2 हिस्से के साथ पत्नी-
 गणों की सहमतीद्वारा इन्तहा कर दीकित किया जाता
 है। लक्ष्मील बाबु मिठानि अजुमा राजस्व रैड्ड
 में कमल डराम करे। डिक्ली फर्मा जारी होइए
 पत्रावली मेंमल सुमा हो इज नम्बर में डम हो
 दाखिल इन्तहा हो।

सिद्धिपाल
 सहायक जज नम्बर 2500 04
 काठमांडू

डिक्ली फर्मा
 24/12/23 3:45 PM
 नं. 98/19
 98/19
 यह हुक्मना आज
 व हाजिर

डिकरी व मुकदमे इच्छादाई

सं. ११४१४३ डल १२२ एव S.O.O. मुकाम बा.प.ड.
 श्री विवेक व्यास R.A.S. बनाम श्री आशुतोष शर्मा

राबत कां.बा. ९९ १०० RTAET

सदमा नं. ९९/१९ सन् २०१९

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रुबरु श्री आशुतोष

व हाजरी श्री नरपत शर्मा एडव. मिनजानिब मुदई व

श्री ज्योत्सना शर्मा एडव. मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि वाणिज्य डा. कार स्वीकार किया जाकर विकारित आरजी मॉजा-

अगौठिया की बानी पटवार मण्डल माडपुरा कवाला के प्लॉट नम्बर- 735/612

रकबा- 26.18 बीघा मॉजा- माडपुरा पुराना डाब पटवार मण्डल- माडपुरा कवाला के

प्लॉट नम्बर- 306 रकबा- 0.19 बीघा, नम्बर- 307 रकबा- 0.04

बीघा, नम्बर- 308 रकबा- 81.06 बीघा व नम्बर- 425/308 रकबा-

1.03 बीघा इल रकबा- 110.10 बीघा भूमि के परिवार/संख्या- 1 के 1/2 हिस्से की

भूमि में परिवारों को सहायता के अन्तर्गत घोषित किया जा रहा है। तथ्यवश

व्याप्त इसी अनुमा राजस्व के अन्तर्गत के कमलदाम है। धरती का पसारा

संख्या- संख्या दर्ज है।

कौम मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक को अदा करें।



बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 12 20 19 को जारी की गई।

दस्तखत
 ओहदा

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराज हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

पारिगाण

वनाम

सेवामें

1. धुन्नाराम पुत्र भासूराम
 2. रूपाराम पुत्र भासूराम
 3. भारद्वाजराज पुत्र भासूराम
- जातिग्राम - जाट
निवासीग्राम - अगोविनी की बानी
(साडपुरा बखाला) तहसील-वायट



1. भासूराम पुत्र भासूराम
 2. रणाराम पुत्र भासूराम
 3. गौमाराम पुत्र दमाराम
 4. मोडनाराम पुत्र दमाराम
 5. उडाराम पुत्र दमाराम
 6. दुर्गाराम पुत्र दमाराम
 7. नैनुदेवी पुत्री दमाराम
- जातिग्राम - जाट
निवासी - अगोविनी की बानी
(साडपुरा बखाला)
तहसील-वायट जिला-वाडमेर
8. तहसीलवाड वायट

विशेषज्ञ
सहायक कलेक्टर
वायट